साहिबगंज नगर परिषद, साहिबगंज।

पत्रांक–2747/न0प0, दिनांक–18-12-17

–: आवश्यक सूचना :–

एतद् द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि

1. स्वच्छता से संबंधित शिकायत के लिए **SWACHHSTA APP** के माध्यम से शिकायत करें और अधिकतम 48 घंटे के अंदर समाधान पाऐं।

2. सभी दुकानदारों फुथ-पात विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि शहर ~~में~~ को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें– कचरा को डस्टबिन में ही डालें। सभी दुकान भाईयों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् कार्यालय से अपने दुकानों का ट्रेड लाईसेन्स बनाना सुनिश्चितकरें नहीं बनाने पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के सू–संगत धारा ओं के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपने–अपने दुकान में डस्टबिन का प्रयोग करेगें अन्यथा लाईसेन्स निर्गत नहीं किया जायेगा।

3. सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि साहेबगंज शहरी क्षेत्र पलास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पलास्टिक बैग का विक्रय एवं प्रयोग दण्डणीय अपराध है। नियम के उल्लंघन करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

4. सभी मांस बिक्रेता नगर परषिद् कार्यालय से एन0ओ0सी0 प्राप्त कर लाईसेन्स लेना सुनिश्चित करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. जिनके दुकान एवं मकान, प्रतिष्ठान का होल्डिंग नहीं है वे नगर परिषद् से अपना होल्डिंग लेना सुनिश्चित करें। अन्यथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम–2011 के सू–संगत धारा के तहत् कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

6. सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि मकान बनाने हेतु सामग्री सड़क व नाला के उपर न रखें। तुरन्त अपने जमीन, मकान में सामग्री सुरक्षित कर लें। अन्यथा निरीक्षण के क्रम में सड़क व नाला पर सामग्री पाये जाने पर नगर परिषद् प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

7. सभी शहर वासियों से अनुरोध है कि वे अपने नैतिक जिम्मेवारी को निभायें तथा नगर परिषद् साहेबगंज को बेहर सेवा देने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

For, 18/12/17

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद् साहिबगंज।
18/12/17

ज्ञापांक 2747 / SBM, साहेबगंज, दिनांक – 18-12-17

प्रतिलिपि– प्रचारक, विजय चौरसिया, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार–प्रसार अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगतार 7 दिनों तक सभी वार्डो मे करना सुनिचित करेगें। (बाजार, मार्केट एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगें तथा मुख्य–मुख्य स्थान के स्थानीय नागरिकों से प्रचार नोटिस में हस्ताक्षर करा कर अभिश्रव प्रस्तुत करेगें।)

प्रतिलिपि– सभी संबंधित कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–AE/ SBM प्रभारी/ PMAY शाखा/ सफाई प्रभारी/NULM/ स्वच्छताग्रही/सभी तहसीलदार/TD/SPS/ सभी वार्ड उप उपसमिति, नं0प0 से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को सूचनार्थ प्रेषित।

18/12/17

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद साहेबगंज
18/12/17

SWACHH BHARAT MISSION